भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 779

(24 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

779. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत देश में अब तक कुल कितने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया जा चुका है और इनसे कितनी ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं;

(ख) स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य के तहत उन्हें वित्तीय साक्षरता, तकनीकी कौशल और सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए क्या विशेष ऋण सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ग) इन महिला समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए 'सरस आजीविका स्टोर' और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से विगत एक वर्ष के दौरान कुल कितना टर्नओवर दर्ज किया गया है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत देश भर में 92 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया है, जिसके तहत 10.05 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया है।

(ख) डीएवाई-एनआरएलएम के तहत, मंत्रालय वित्तीय साक्षरता, संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुँच और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सदस्यों के वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से एसएचजी की महिला सदस्यों के बीच, वित्तीय समावेशन को और सुदृढ़ करने के लिए, डीएवाई-एनआरएलएम ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) और बैंकों के साथ साझेदारी में एक व्यापक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है। वित्तीय साक्षरता समुदाय संसाधन व्यक्ति, ग्राम स्तर पर वित्तीय नियोजन, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन, उद्यम वित्तपोषण और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स से संबंधित मॉड्यूल को शामिल करते हुए वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 3.81 करोड़ से अधिक महिला एसएचजी सदस्यों को इन मॉड्यूल पर वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक ने लखपति दीदी पहल को सुगम बनाने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत व्यक्तिगत महिला एसएचजी सदस्यों के लिए अपने विशिष्ट ऋण उत्पाद तैयार किए हैं। ये ऋण उत्पाद महिला एसएचजी सदस्यों को किफायती दरों पर संस्थागत ऋण प्राप्त करके नए उद्यम स्थापित करने अथवा अपने मौजूदा उद्यमों का विस्तार करने में सक्षम बनाते हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सरस आजीविका स्टोरों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन से प्राप्त कुल टर्नओवर निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**प्लेटफॉर्म**	**टर्नओवर**
1.	सरस आजीविका स्टोर	रु. 2,09,69,691
2.	ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म	रु. 84,49,730

*****